राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई / ग्रुप–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 30/9/2021

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा डॉ. हरि नन्दन मीणा (माइक्रोबायोलोजी विशिष्ठता, मेरिट संख्या–8, वर्ग–ST,RG) को सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलोजी के पद पर नवनियुक्ति प्रदान कर, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में पदस्थापित किया गया था तथा कार्यग्रहण हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि दी गई।

डॉ. मीणा के द्वारा निर्धारित कार्यग्रहण समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 24.09.2021 के द्वारा डॉ. मीणा को सूचित किया गया कि नोटिस जारी होने की तिथि से 3 दिवस में मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावे। उक्त तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगें। डॉ. मीणा द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा डॉ. हरि नन्दन मीणा का सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलोजी (माइक्रोबायोलोजी विशिष्ठता में क्र.सं.–8) के पद हेतु जारी किया गया नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

30/9/2021

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.–7(38)(1–41)भर्ती 'ख' / गोपनीय / 2018–19 / 222 दिनांक 01.04.2021 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ. हरि नंदन मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा, ए–100, शुभ आंगन कॉलोनी, रायपुरा, डीं.सी.एम. सर्किल के पास, कोटा (राज.)–324003 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

30/9/21

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव